

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE**

RAJYA SABHA

**STARRED QUESTION NUMBER *22
TO BE ANSWERED ON 03.02.2022**

CLASSICAL LANGUAGE STATUS TO MARATHI

22. SHRI SANJAY RAUT:

Will the Minister of Culture be pleased to state:

- (a) whether the State Government of Maharashtra and many scholars have demanded several times for giving the classical language status to Marathi, which is under active consideration;
- (b) if so, the current status of the proposal and the reasons for the delay; and
- (c) by when will Marathi be accorded the classical language status?

**MINISTER FOR CULTURE, TOURISM, AND DEVELOPMENT OF
NORTH EASTERN REGION**

(SHRI G. KISHAN REDDY)

ANSWER.

- (a) to (c) A statement is laid on the table of the house.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NUMBER *22 TO BE ANSWERED ON 03.02.2022**

(a) : Yes Sir.

(b) & (c): The proposal for according the classical status to Marathi is under active consideration of the Ministry of Culture.

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *22
उत्तर देने की तारीख : 03 फरवरी, 2022

मराठी को शास्त्रीय (क्लासिकल) भाषा का दर्जा दिया जाना

*22. श्री संजय राउत :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार और अनेक विद्वानों ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की कई बार मांग की है जिस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और
- (ग) मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब तक दे दिया जाएगा?

उत्तर
(जी. किशन रेड्डी)
संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 03 फरवरी, 2022 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *22 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, this is with regard to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the State Government of Maharashtra, many MPs across the board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the Table as a special mention in the 253rd Session. Every time, the response is, 'it is under active consideration'. My only question on this particular topic is: How long will this active consideration last?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीया सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि matter under active consideration है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक 6 भाषाओं को classical language का दर्जा दिया है। यह गृह मंत्रालय का 2004 का एक नोटिफिकेशन था। उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25.11.2005 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को classical language का दर्जा देने का काम करने के लिए authorize किया। इसमें फिर हमने एक languages expert committee बनायी। इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में matter गया। यह matter बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही निर्णय होगा, शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन inter-ministerial discussion चल रहा है, consultation चल रहा है। जैसे ही निर्णय आयेगा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को और माननीया सांसद को अवगत करा दूँगा।

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे: उपसभापति जी, मुझे यह पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अन्दर के समन्वय के अभाव में इस प्रस्ताव में कुछ खामियाँ रही हैं, क्या यह जानकारी सही है? ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन राम मेघवाल: डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, जैसा मैंने कहा कि linguistic expert committee इस काम को जाँच रही है। निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, तो यह matter साहित्य अकादमी में जाता है। कुछ छोटी-मोटी कमियाँ रहती भी हैं, तो वे दूर कर ली गयी हैं। जैसे मराठी भाषा कितनी पुरानी language है, क्या-क्या साहित्य है, तीसरी शताब्दी में क्या लिखा गया, बारहवीं शताब्दी तक क्या लिखा गया और बारहवीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर यह देश गर्व करता है। ...(व्यवधान).... उस पर देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि active consideration का प्रकरण - पहले जो माननीय सांसद ने उठाया - सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही इस पर निर्णय होने वाला है।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि जो मराठी भाषा है, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। आदिकवि मुकुंद राज से इस मराठी भाषा का उद्गम हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे आगे बढ़ाया था। हमारे संत नामदेव इस मराठी भाषा को पंजाब तक लेकर गये।

श्री उपसभापति : रजनी जी, आप सवाल पूछिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं वही पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप बहस कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : आपको सवाल पूछना है।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मंत्री महोदय ने बताया। मैं उनको बताना चाहती हूँ। मैं उनको मराठी भाषा का ज्ञान देना चाहती हूँ।

श्री उपसभापति : आप ज्ञान देना चाहती हैं, तो अलग बात है। अगर आप सवाल पूछना चाहती हैं, तो मैं मौका दे सकता हूँ। आप ज्ञान अलग से बाहर दे सकती हैं। आप सवाल पूछिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ - अभी हमारे भाई विनय सहस्रबुद्धे जी बोल रहे थे। वे हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किये हैं कि मराठी भाषा को सांस्कृतिक लेवल पर लिया जाए। क्या Government of India अपने प्रयास से इसको जल्दी सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है? वह उसके लिए क्या करना चाहती है, मैं यह पूछना चाहती हूँ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : डिप्टी चेयरमैन सर, मैंने जो पहले जिक्र किया कि हमें मराठी भाषा, मराठा साहित्य और मराठा इतिहास पर गर्व है। हम जल्द ही इस पर निर्णय करने वाले हैं। आप इस पर शंका मत कीजिए। ...(व्यवधान)... आप जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं। हमने इसके बारे में खूब पढ़ा है। ऐसी बात नहीं है। ...(व्यवधान)... लेकिन डिप्टी चेयरमैन सर, जब inter-ministerial consultation होता है, तो उसमें समय लगता है। MHRD का भी - संस्कृति मंत्रालय, उसके बाद गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यानी कई मंत्रालयों के बीच inter-ministerial consultation चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत करायेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 23. The questioner is not present. Any supplementaries?